झारखण्ड सरकार

समाहरणालय, लातेहार

(आपूर्ति शाखा)

अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, राँची के पत्रांक–411, दिनांक 17.02.2011 के आलोक में Door Step Delivery को प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2015–16 के लिए लातेहार जिला अन्तर्गत सभी प्रखंडों (मनिका बरवाडीह प्रखण्ड को छोड़कर) के जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक सम्बंधित प्रखंडों के राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न (गेहूँ, चावल, चीनी) का उठाव कर Door Step Delivery के तहत् परिवहन कराने हेतु मुहर बंद पुनर्निविदा निम्नांकित विवरणी के लिए आमंत्रित की जाती है –

क्र. सं.	प्रखंड का नाम	दुकानों की संख्या	खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में प्रतिमाह)
1	लातेहार	106	5317.4669
2	चन्दवा	82	3932.6263
3	बारियातु	44	2025.9733
4	हेरहंज	26	1325.4879
5	बालूमाथ	58	2395.6188
6	गारू	26	1774.6942
7	महुआडांड	64	2431.4542
		कुल	**19203.3216**

बारियातु एवं हेरहंज प्रखण्ड अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के दुकानों के लिए आवंटित खाद्यान्नों का उठाव बालूमाथ प्रखण्ड अंतर्गत गोदाम से किया जायेगा।

विस्तृत शर्त एवं निविदा पत्र 500/–(पॉच सौ) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के पदनाम से जमा करने के पश्चात जिला आपूर्ति कार्यालय, लातेहार से प्राप्त किया जा सकता है। इस राशि को वापस नहीं किया जायेगा।

स्वीकृत परिवहन अभिकर्त्ता को एक या एक से अधिक प्रखंडों में खाद्यान्न का परिवहन/हथालन का दायित्व सौंपा जा सकता है। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा, सील बन्द लिफाफा में दिनांक– 11.01.2016 के 2:00 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न तक कार्यालय अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय में रखें बंद बक्से में दिया जा सकता है तथा निविदा उसी दिन दिनांक– 11.01.2016 के 3:00 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में निविदादाताओं के समक्ष समाहरणालय स्थित सभागार में खोला जायेगा। आप विहित प्रपत्र, निविदा की शर्तें और निविदा कैसे भरें को वेबसाईट www.latehar.nic.in पर देख सकते हैं।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार।

समाहरणालय, लातेहार

(आपूर्ति शाखा)

वर्ष 2015–16 के लिए तकनिकी निविदा की शर्ते:–

1. जन वित्तरण प्रणाली विक्रेताओं को उपावंटित खाद्यान्न राज्य खाद्य निगम की प्रखण्ड स्तरीय गोदाम से उठाव कर संबंधित जन वित्तरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों तक पहुँचा कर आपूर्ति करना है। इसके लिए परिवहन व्यय राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम 30 (तीस) रूपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित है। पी0डब्लू0डी0 निविदा शर्तों के अनुसार निविदा डाला जा सकता है। समान दर, दो या उससे अधीक डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन अभिकर्त्ता निविदादाता के होंगे तो उसे स्वतः रद्द समझा जाएगा।
2. निविदादाता के द्वारा निविदा पत्र के साथ प्रत्येक प्रखण्ड के लिए अलग– अलग 150000–150000(एक लाख पचास हजार –एक लाख पचास हजार) हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में उपायुक्त, लातेहार के पदनाम से सुरक्षित राशि के रूप में देना अनिवार्य होगा। परिवहन अभिकत्ता नियुक्त होने के उपरांत अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट जो आवश्यकतानुसार परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा पुनरवैधिकरण (Revalid) कराना होगा जो पूरे कार्यकाल तक रखा जायेगा। आवश्यक कार्य में टाल–मटोल करने/अनियमित्ता बरतने पर इसे जब्त किया जा सकता है।
3. अनुमण्डल पदाधिकारी या उससे अन्यून पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। उपायुक्त द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता द्वारा खाद्यान्न पहूँचाने हेतु प्रत्येक प्रखण्डों के लिए अलग–अलग बैध कागजातों वाले कम से कम तीन निजी (स्वंय निविदादाता, पत्नी, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री के नाम से हो) एवं दो वाहन प्राधिकृत हो कुल पांच वाहनों (माल वाहक श्रेणी के घोषित ट्रक, ट्रैक्टर एवं टाटा–407 इत्यादि) का संबंधित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा। लातेहार जिला से कम से कम तीन वाहन पंजीकृत होना आवश्यक होगा। निविदादाता का निजी वाहन लातेहार जिला से पंजीकृत ज्यादा रहने पर उसको प्राथमिकता दी जायगी।
5. निविदादाता द्वारा वाहनो का दस्तावेज संलग्न की जायगी, उस वाहन में चयनित परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा 10 दिनों के अन्दर जी0पी0एस0 यंत्र लगाना सुनिश्चित करेंगे। जिसका वहन वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

   जिस चयनित अभिकर्त्ता द्वारा अनुपालन नहीं किया जायेगा, उस चयनित अभिकर्त्ता को बिना सूचना दिये निर्गत आदेश रद्द कर द्वितीय स्थान पर चयनित अभिकर्त्ता को आदेश निर्गत कर दी जायगी। यह प्रक्रिया क्रमशः जारी रहेगा।
6. डोर स्टेप डीलीवरी के तहत् खाद्यान्नों का उठाव एवं पहुंचाने में उपयोग की जा रही वाहनों के दोनो तरफ (आगे पीछे को छोड़कर) पीला रंग के Background में काले अक्षर से **''जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का परिवहन''** सूचना पेंटिंग किया जाना आवश्यक होगा।
7. खाद्यान्नों का ढुलाई में उपयोग की जा रही वाहनों मे GPS यंत्र लगाने तथा सूचना पेटिंग करने का सत्यापन अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किये जाने के पश्चात् ही कार्यालय आदेश निर्गत किया जायेगा।
8. निविदादाता अपना नाम, पिता/पति का नाम, वर्तमान पता, व्यवसाय, पूर्व कार्य अनुभव, आदि का उल्लेख आवेदन पत्र मे करेंगे।
9. निविदादाता निविदा पत्र के साथ आवासीय प्रमाण पत्र, वार्षिक चल–अचल सम्पति प्रमाण पत्र (Turnover पचीस लाख रू0) सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत है। उसे संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. अद्यतन आयकर रिर्टन (पिछले तीन वर्षो सहित) एवं पैन कार्ड की छाया प्रति सत्यापित संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता द्वारा इस आश्य का शपथ पत्र देना होगा कि प्रत्येक माह के खाद्यान्न का उठाव ससमय निर्धारित तिथि तक कर के संबंधित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से प्रखण्ड के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचायेंगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के भागीदारी होंगे।

12. न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता/सरकारी खाद्यान्न से संबंधित आपराधिक मामले की अभ्युक्ति/काली सूची बद्ध नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा।
13. स्वीकृत परिवहन अभिकर्त्ता जिस गुणवत्ता एवं मात्रा में खाद्यान्न का उठाव प्रखण्ड स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से करेंगें, उसी गुणवत्ता एवं मात्रा के साथ जन वित्तरण प्रणाली के दुकानों को देंगे। किसी भी प्रकार के मिलावट एवं मात्रा में कमी के लिए परिवहन अभिकर्त्ता दण्ड के भागी होंगे इस आश्य का शपथ पत्र देना होगा।
14. निविदा का निष्पादन निविदा में उपस्थित कमिटि के सदस्यों के द्वारा किया जायगा जो सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार का दावा का निष्पादन उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में निविदा कमिटि में सदस्यों के द्वारा ही निष्पादित की जायगी जो निविदादाता को मान्य होगा तथा इस आश्य का भी शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
15. निविदा सील बन्द लिफाफा में समय–सीमा के अंदर दो अलग–अलग लिफाफों में जिसमें एक तकनीकी निविदा **(Technical Bid)** एवं दूसरा वित्तीय निविदा **(Financial Bid)** होगा उसे दो अलग–अलग बॉक्स में जिला आपूर्ति कार्यालय में रखे सील बंद डब्बे में कार्यालय अवधि में दिया जा सकता है। तकनिकी निविदा में Qualified निविदादाताओं का हीं वित्तीय निविदा खोला जायगा।
16. परिवहन व्यय का भुगतान राज्य सरकार से वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस मद मे आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात किया जायेगा।
17. निविदादाता को खाद्यान्न की लोडिंग एव अनलोडिंग स्वंय करना होगा एवं इसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
18. स्वीकृत परिवहन अभिकर्त्ता को एक या एक से अधिक प्रखण्डों में खाद्यान्न परिवहन का दायित्व सौंपा जा सकता है जो सभी प्रकार का दावा सम्मिलित रहेगा।
19. प्राप्त न्यूनतम दर से संबंधित निविदादाता से वार्त्ता के आधार पर दर संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
20. चयनित परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा प्रखण्ड गोदाम से जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक खाद्यान्न सामग्रियों को पहुंचाने के पश्चात् प्रखण्ड स्तरीय चयनित पर्यवेक्षक एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा दो दिनों के अन्दर संबंधित दुकानों का स्टॉक पंजी जांचोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अभिश्रव में संलग्न रहने के पश्चात् ही परिवहन व्यय राशि की भुगतान की जायेगी।
21. निविदा के अंतिम निस्तार के पश्चात स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाता की सुरक्षित राशि के रूप मे जमा की गयी बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
22. निविदादाता जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का निकट संबंधी नहीं होना चाहिए से संबंधित शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
23. निविदा में किसी भी संसय को दूर करने का अधिकार/ बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार /वगैर कारण बताये निविदा को रद्द करने/स्थगित करने/समय को परिवर्तन करने/दर वार्ता करने का अधिकार उपायुक्त, लातेहार के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार।

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय, लातेहार

(आपूर्ति शाखा)

निविदा फार्म कैसे भरें

1. निविदादाता, निविदा दस्तावेज का कोई पृष्ठ बिना अलग किए, विधिवत् पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेंगे और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर नीचें हस्ताक्षर करेंगे। निविदादाता को अग्रधन राशि एवं वांछित दस्तावेज यथा वाहन के कागजात, अनुभव प्रमाण–पत्र, अद्यतन इन्कम टैक्स रिटर्न तथा पैन कार्ड, आचरण प्रमाण–पत्र जो उपायुक्त स्तर से निर्गत हो, आवासीय प्रमाण–पत्र, चल–अचल सम्पति प्रमाण–पत्र इत्यादि अलग से मुहरबंद लिफाफे (Technical Bid) में रखकर (लेटरहेड या सादे कागज पर आवेदन में जिला एवं प्रखण्ड के नाम सहित) प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस हेतु निविदा प्रपत्र का शुल्क के रूप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के नाम से देय 500.00 रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कर निविदा प्रपत्र जिला आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। **टेक्निकल बिड एक अलग सील बंद लिफाफे, जिसपर टेक्नीकल बिड (Technical Bid) लिखा हों, में समर्पित करें। निविदा दर एक अन्य सीलबंद लिफाफे में, जिस पर फाईनेंसियल बिड (Financial Bid) पृथक रूप से लिखकर प्रस्तुत करना होगा। तकनिकी निविदा के सफल निविदादाताओं का हीं वित्तीय निविदा खोला जायगा।**

किसी भी परिस्थिति में Technical Bid में Financial Bid के कागजात या Financial Bid के लिफाफे में Technical Bid के कागजात नहीं रहेंगे अगर ऐसा होता है तो उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस लिफाफा पर परिवहन कार्य की निविदा 2015 एवं प्रखंड का नाम जिसके लिए निविदा दिया जा रहा है, स्पष्ट रूप से लिखें। ऐसे निविदादाताओं, जिनके द्वारा टेक्नीकल बिड में क्वालीफाई नहीं किया गया है, उनकी फाईनेंसियल बिड नहीं खोली जायेगी एवं निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

टेक्नीकल बिड के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

निविदादाता को टेक्नीकल बिड के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ, जो स्वयं हस्ताक्षर करने के उपरांत, जो स्वयं सत्यापित करने के पश्चात, संलग्न करना अनिवार्य होगा। इनमें से किसी भी दस्तावेज के अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जा सकती है।

1. परिवहन कार्य हेतु 05 (पांच) या अधिक भारी माल वाहन (ट्रक) टाटा–407 वाहनों का अध्यतन कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा जो निविदादाता के निजि (स्वंय, पत्नी, पुत्र या अविवाहित पुत्री के नाम से) एवं दो वाहन निविदादाता के नाम से प्राधिकृत हो।
2. अद्यतन इन्कम टैक्स रिटर्न पिछले तीन वर्षों का तथा पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति।
3. वाहन संबंधी प्रमाण–पत्र रोड टैक्स, बीमा, निबंधन प्राधिकार प्रमाण पत्र (यदि वे वाहन मालिक न हो तो)
4. 150000.00 (एक लाख पचास हजार) रू0 का सुरिक्षित बैंक ड्राफ्ट एवं निविदा शुल्क हेतु 500 रू0 का बैंक ड्राफ्ट।
5. अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा आवासीय प्रमाण–पत्र।
6. 25,00,000.00 (पचीस लाख) रू0 का चल अचल संपत्ति प्रमाण–पत्र।
7. उपायुक्त द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र।
8. तकनिकी निविदा में अंकित शर्तों में वर्णित संबंधित बिन्दुओं पर शपथ पत्र।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार।

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय, लातेहार

(आपूर्ति शाखा)

वित्तीय भाग

विहित प्रपत्र

1. मैंने राज्य खाद्य निगम के प्रखण्ड स्थित गोदाम से प्रखण्ड के सभी जन वित्तरण प्रणाली के दुकानों की संख्या समझ लिया हूँ।
2. मैंने प्रखण्ड के अंतगर्त संचालित सभी योजनाओं के आवंटन का अवलोकन कर लिया हूँ।
3. .... प्रखण्ड के लिए प्रखण्ड स्थित गोदाम से जन वित्तरण प्रणाली के दुकान तक खाद्यान्न पहुॅचाने हेतु परिवहन से हथालन की प्रति क्विंटल खाद्यान्न .... रू0 की दर से निविदा भरता हूँ।
4. मुझे निविदा की सभी शर्त्तें मंजूर है।
5. निविदा की शर्त्तें का उल्लंघन करने पर कानूनी कारवाई की जा सकती है।

पता :— 1. जिला का नाम :—

2. अनुमंडल का नाम :—

3. प्रखण्ड का नाम :—

4. निविदादाता का नाम एवं वर्तमान पता :—

स्व—अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

5. निविदादाता के पिता/पति का नाम एवं पूरा पता :—

अभिप्रमाणित हस्ताक्षर

6. स्थायी पता :—

7. बैंक ड्राफ्ट न0 दिनांक :—

बैंक का नाम :— राशि

निविदादाता का हस्ताक्षर

मोबाईल न0 —

दिनांक —